

इस्पात, खान, श्रम एवं
रोजगार मंत्री
भारत सरकार

संदेश

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!


संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। राजभाषा हिंदी सरकार एवं जनता के बीच संपर्क का मात्र एक महत्वपूर्ण माध्यम ही नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भाषायी पहचान भी है। इस नाते हम सभी का यह दायित्व है कि हम अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करें ताकि सरकार और आम जनता के बीच पारस्परिक संबंध और प्रगाढ़ हो सकें।

आज हिंदी राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना एक अहम स्थान बना चुकी है। हिंदी विश्व के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई ही नहीं जा रही है बल्कि विदेशी विद्वानों द्वारा इसमें साहित्य सृजन भी हो रहा है। हम देशवासियों के लिए यह गौरव की बात है। इसी के साथ-साथ इसने भारत में व्यापार एवं संचार की प्रमुख भाषा का रूप भी ले लिया है और इससे लोगों के लिए रोजगार के विपुल अवसर भी सृजित हुए हैं।

भारत की अपनी एक समृद्ध सामासिक संस्कृति है, इसलिए हिंदी भाषा के विकास के साथ-साथ हमें संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल अन्य सभी भारतीय भाषाओं का भी विकास करना है। हिंदी तथा ये सभी भाषाएं तभी समृद्ध मानी जा सकती हैं जब ये तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समृद्ध हों। इस्पात मंत्रालय की गणना तकनीकी मंत्रालयों की श्रेणी में होती है। इस प्रकार इस्पात मंत्रालय हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दृष्टि से समृद्ध बनाने में पर्याप्त योगदान कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि इस्पात मंत्रालय के साथ-साथ इसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/उपक्रमों में तकनीकी कामकाज में हिंदी का प्रयोग इस तरह से किया जाए जिससे कि वह हिंदी और विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच सेतु का कार्य कर सके।

हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ तथा उसके साथ ही साथ यह अपील भी करता हूँ कि इस्पात मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करें और इस क्रम को पूरे वर्ष जारी रखें जिससे कि हिंदी को संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप समुचित स्थान मिल सके।

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 14 सितम्बर, 2014


(नरेन्द्र सिंह तोमर)